Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: (Cosmos: 7.866 & I2OR: 5.675) Volume 16, No. 01, January-March, 2026, pp. 140-144

राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड लाभार्थियों की उपयोग प्रवृत्तियां – एक अध्ययन (टोंक जिले के संदर्भ में)

महेन्द्र कुमार मीणा[1]* एवं डॉ. पवन वर्मा[2]

[1]रिसर्च स्कॉलर, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान।
[2]सह आचार्य, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान।

*Corresponding Author: meena.mahendra007@gmail.com

Citation: *मीणा, महेन्द्र एवं वर्मा, पवन (2026). राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड लाभार्थियों की उपयोग प्रवृत्तियां – एक अध्ययन (टोंक जिले के संदर्भ में). Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 16(01), 140–144.*

सार

समकालीन कृषि में सबसे आवश्यक संसाधनों में से एक ऋण की उपलब्धता है। कृषि वित्त का विस्तार, भूमि उत्पादकता में वृद्धि, और कृषि उत्पादन के लिए जल संसाधनों के उपयोग की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने, आगमों और उपकरणों की खरीद, भूमि विकास, पशुओं की खरीद और कच्चे माल की खरीद के लिए, अन्य बातों के अलावा, ऋण की आवश्यकता होती है। किसानों को फसल उत्पादन के पूरे चक्र में अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाकर और साथ ही निवेश के लिए धन उपलब्ध कराकर, कृषि ऋण कृषि उत्पादन को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान क्रेडिट कार्ड लाभार्थियों के उपयोग की प्रवृत्तियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए टोंक जिले के 90 किसानों (टोंक, पीपलू और दूनी) को एक नमूने के रूप में चुना गया। आँकड़ों के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति मध्यम स्तर की पायी गयी। यह भी पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग मध्यम स्तर का था।

शब्दकोश: *कृषि वित्त, ऋण, सीमान्त या लघु किसान, कृषि विकास, किसान क्रेडिट कार्ड, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, कृषि प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण।*

प्रस्तावना

किसी भी प्रकार के व्यवसाय में पूंजी सबसे महत्वपूर्ण आगम है। कृषि भी इस नियम का अपवाद नहीं है क्योंकि कृषि उद्योग की प्रभावशीलता और उत्पादकता कृषि कार्यों के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। परिणामस्वरूप, जीवित रहने और फलने–फूलने के लिए, कृषि उद्योग को समर्थन या वित्तपोषण की आवश्यकता होती है। कृषि ऋण उद्योग के प्रदर्शन और उत्पादकता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण घटक है।

वित्तीय सुधारों से पहले, साहूकार और महाजन कृषि ऋण के प्राथमिक गैर–संस्थागत स्रोत थे और उन्होंने किसान परिवारों को अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण सुविधाएं प्रदान की थीं जिन्होने किसानों को हाशिए पर धकेल दिया था। वर्ष 1991 में किए गए वित्तीय सुधारों ने कृषि के लिए ऋण परिदृश्य को बदल कर उद्योग

* *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

को ऋण देने के लिए संस्थागत स्रोतों को जन्म दिया। किसानों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए, आरबीआई और नाबार्ड जैसे विभिन्न संगठन ऋण सुविधाओं सहित नीतिगत कदम उठाने के लिए सामने आए।

कृषि क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीक और अन्य इनपुट की आवश्यकता है, और आधुनिक तकनीक और अन्य इनपुट को अपनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन चूँकि किसान अपनी वित्तीय ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, इसलिए कृषि क्षेत्र में ऋण की अत्यधिक आवश्यकता है। ऋण की आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार ने आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की मदद से किसान अपनी खेती को सफलतापूर्वक समर्थन दे रहे हैं।

टोंक जिले में लाभार्थी माने जाने के लिए, आवेदकों को 18 से 75 वर्ष के बीच की आयु का होना आवश्यक है। सभी किसान, जिनमें व्यक्ति, संयुक्त कृषक, काश्तकार और बटाईदार शामिल हैं इस योजना के पात्र हैं। सर्वेक्षण में अधिकांश उत्तरदाता किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से टोंक जिले की आय का मुख्य स्रोत कृषि है। यह वर्ष 2020–21 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि प्राप्त करने वाले जिलों में से एक है।

राजस्थान के टोंक में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को कृषि और उससे जुड़े खर्चों के लिए समय पर और किफ़ायती ऋण उपलब्ध करा रही है। यह धनराशि खेती, कटाई के बाद की गतिविधियों, विपणन और आवश्यक घरेलू खर्चों को पूरा करती है। 2025–26 के केंद्रीय बजट में, संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत अल्पकालिक ऋण सीमा रू 3 लाख से बढ़ाकर रू 5 लाख कर दी गई है।

भारत में किसान क्रेडिट कार्ड की प्रवृत्तियों पर उपलब्ध साहित्य की समीक्षा से व्याप्ति और ऋण राशि में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है, जो वित्तीय समावेशन और कृषि उत्पादकता में सुधार लाने में इस योजना की भूमिका को दर्शाता है। हालाँकि, साहित्य में क्षेत्रीय असमानताओं, कम वित्तीय साक्षरता और धन के दुरुपयोग जैसी लगातार चुनौतियों की भी पहचान की गई है, जो इस कार्यक्रम की समग्र प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

साहित्य की समीक्षा

गोपाल और मजहर (2023)[1] ने कृषि अर्थव्यवस्था पर केसीसी योजना के प्रभाव पर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक शोध किया। अध्ययन का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि केसीसी लाभार्थियों और गैर–लाभार्थियों को ज्ञान, दृष्टिकोण, वार्षिक आय और उत्पादकता के संदर्भ में कैसे प्रभावित करता है। अध्ययन के लिए डेटा केसीसी के 158 लाभार्थियों और 158 गैर–लाभार्थियों से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया था। अध्ययन से पता चला कि लाभार्थियों और गैर–लाभार्थियों के बीच केसीसी योजना के बारे में ज्ञान के स्तर में महत्वपूर्ण अंतर था।

श्रीजा और अन्य (2022)[2] ने अपने अध्ययन में पाया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को फसल की खेती के लिए उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकता के लिए बैंकिंग प्रणाली से संतोषजनक और समय पर सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले के 40 किसानों पर किए गए अध्ययन

---

[1] गोपाल एस के एण्ड मजहर एस एच (2023), सोशियों इकोनोमिक स्टेडी ऑफ द बैनीफिशियरी एण्ड नान बैनीफिशियरी ऑफ किसान क्रेडिट स्कीम इन कन्नौज डिस्ट्रीक ऑफ यूपी, एशियन जर्नल ऑफ एग्रीकलचरल एक्सटेन्शन, इकोनोमिक्स एण्ड सोशियोलॉजी, वाल्यूम 41 इश्यू 10 पेज 842–848.

[2] श्रीजा वी, के चन्दाना एण्ड रामू जी (2022), ए स्टेडी ऑन इफैक्टिवनेस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड अमोंनग द बेनेफीशरी फामर्स इन नालगोण्डा डिस्ट्रीक, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ मॉर्डेनाइजेशन इन इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड साईन्स, वाल्यूम 4 इश्यू 8 पेज 2038–2044.

में पाया गया कि लाभार्थी किसानों के बीच ऋणग्रस्तता 32 प्रतिशत थी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में जागरूकता बहुत कम है। अध्ययन में पाया गया कि केवल 57. 5 प्रतिशत किसान ही किसान क्रेडिट कार्ड का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं।

वर्मा एवं अन्य (2019)[1] ने वर्ष 2017–2018 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग के पैटर्न के अध्ययन में पाया गया कि उत्तरदाताओं ने कृषि उपज में वृद्धि, आय में वृद्धि, फसल उत्पादन गतिविधि, सब्जी उत्पादन और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण का उपयोग, और ऋण उपयोग की अवधि जैसे घटकों के संबंध में ऋण का सबसे अधिक उपयोग किया था। साथ ही, यह भी पाया गया कि उत्तरदाताओं ने फसल बीमा, फसल पैटर्न में बदलाव और विविध खेती के लिए ऋण का बहुत कम उपयोग किया था।

मेघना एवं अन्य (2018)[2] ने 2016–2017 के दौरान दक्षिण गुजरात की केसीसी योजना के लिए ऋण उपयोग की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार, 46.25 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड धारकों ने अपनी क्रेडिट सीमा का उपयोग केवल कृषि उद्देश्यों के लिए किया, जबकि 17.50 प्रतिशत कार्डधारकों ने अपनी क्रेडिट सीमा का उपयोग गैर–कृषि उद्देश्यों के लिए किया। यह दर्शाता है कि उन्होंने ऋण का दुरुपयोग किया। केसीसी के उपयोग में उत्तरदाताओं के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएँ लंबी कागजी कार्रवाई, अपर्याप्त ऋण सीमा और उच्च ब्याज दर आदि हैं।

अनुसंधान कार्यविधि

वर्तमान अध्ययन के लिए प्राथमिक आँकड़े 2024–25 में एकत्र किए गए थे, और यह अध्ययन अध्ययन क्षेत्र के 90 किसानों (30 टोंक, 30 पीपलू और 30 दूनी से) के यादृच्छिक नमूने पर आधारित है। आवश्यक जानकारी व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से एकत्र की गई थी। इस जानकारी को सारणीबद्ध किया गया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके माध्य और प्रतिशत सहित विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके विश्लेषण किया गया।

सारणी 1: किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग की स्थिति

उपयोग की स्थिति	अध्ययन क्षेत्र			योग
	टौंक	पीपलू	दूनी	
पूर्णतः उपयोग	8 (26.7%)	12 (40.0%)	9 (30.0%)	**29 (32.3%)**
आंशिक उपयोग	15 (50.0%)	12 (40.0%)	13 (43.3%)	**40 (44.4%)**
पूर्णतः दुरूपयोग	7 (23.3%)	6 (20.0%)	8 (26.7%)	**21 (23.3%)**
योग	**30**	**30**	**30**	**90**

दूनी के किसानों में ऋण के दुरुपयोग का प्रतिशत सबसे अधिक था। पीपलू के किसानों में उपयोग के स्तरों का संतुलित वितरण था, जिसमें ऋण के पूर्ण उपयोग और आंशिक उपयोग का प्रतिशत समान था। यह

[1] वर्मा ए, चौहान एस एण्ड निशाद टी (2019), यूटीलाईजेशन पैटर्न ऑफ किसान केडिट अमोंग ट्राईबल फार्मर इन सिंघ डिस्ट्रीक, म. प्र. प्लान्ट अचीवर्स्, वाल्यूम 17 इश्यू 2 पेज 1621–1629.

[2] मेघना वाय, माकडिया जे एण्ड कलोला एम (2018), केडिट यूटीलाईजेशन पैटर्न ऑफ किसान केडिट इन साउथ गुजरात, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकलचरल इकोनोमिकस् एण्ड स्टेटैस्टिकस्, वाल्यूम 9 इश्यू 1 पेज 31–34.

दर्शाता है कि कुल नमूने के एक महत्वपूर्ण अनुपात ने ऋण का आंशिक या पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया, जिसका क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और वित्तीय परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है।

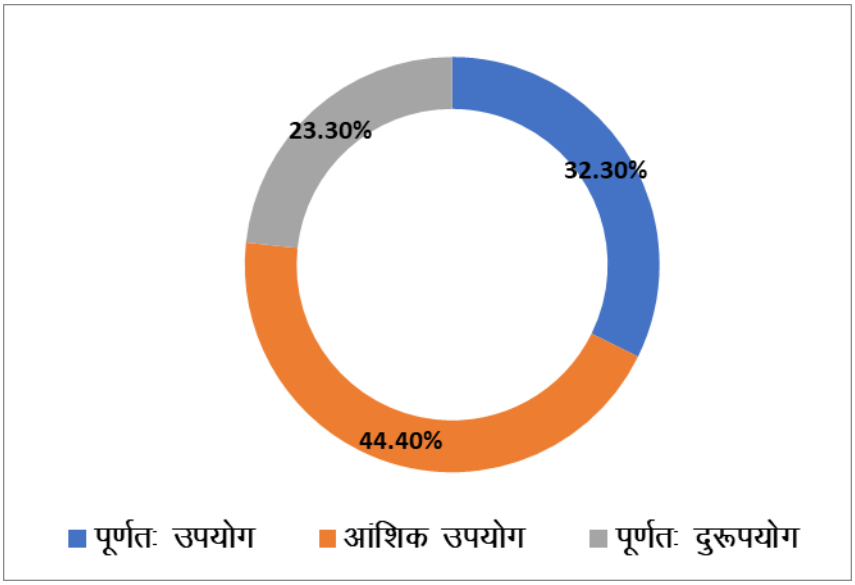

सारणी 2: किसान क्रेडिट कार्ड के दुरूपयोग के कारण

दुरूपयोग के कारण	अध्ययन क्षेत्र			योग
	टौंक	पीपलू	दूनी	
सामाजिक समारोह	2 (28.6%)	1 (16.7%)	3 (37.5%)	**6 (28.6%)**
गृह निर्माण	1 (14.2%)	1 (16.7%)	1 (12.5%)	**3 (14.3%)**
पुराना कर्ज चुकाना	2 (28.6%)	2 (33.2%)	1 (12.5%)	**5 (23.8%)**
पूंजीगत व्यय	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	**0 (0.0%)**
गैर कृषि व्यवसाय	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (12.5%)	**2 (9.5%)**
अन्य	2 (28.6%)	1 (16.7%)	2 (25.0%)	**5 (23.8%)**
योग	**7**	**6**	**8**	**21**

उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से ज्ञात होता हैं कि सामाजिक समारोह और पुराने ऋण का निपटान ऋण के दुरुपयोग का मुख्य कारण थे, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 52 प्रतिशत थी।

निष्कर्ष

उपरोक्त जानकारी के आध्धर पर कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से प्रदान किए गए ऋण के लगभग आधे से अधिक भाग का दुरुपयोग किया गया हैं। परिणामों से पता चला कि 90 लाभार्थी किसानों में से केवल 32.3 प्रतिशत ने ऋण का उपयोग किया, 44.4 प्रतिशत ने आंशिक रूप से उपयोग किया और 23.3 प्रतिशत ने ऋण का पूरी तरह से दुरुपयोग किया। जिन गतिविधियों के

लिए ऋण का अधिकतम भाग दुरुपयोग किया गया, वे थे सामाजिक समारोह, घर निर्माण, पुराने ऋण का निपटान, गैर–कृषि व्यवसाय और अन्य घरेलु कार्य आदि। इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत अधिक किसानों को शामिल करने के लिए योजना के माध्यम से प्रदान की गई प्रति एकड़ ऋण राशि की सीमा बढ़ाई जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गोपाल एस के एण्ड मजहर एस एच (2023), सोशियों इकोनोमिक स्टेडी ऑफ द बैनीफिशियरी एण्ड नान बैनीफिशियरी ऑफ किसान क्रेडिट स्कीम इन कन्नौज डिस्ट्रीक ऑफ यूपी, एशियन जर्नल ऑफ एग्रीकलचरल एक्सटेन्शन, इकोनोमिक्स एण्ड सोशियोलॉजी, वाल्यूम 41 इश्यू 10 पेज 842–848
2. श्रीजा वी, के चन्दाना एण्ड रामू जी (2022) ए स्टेडी ऑन इफैक्टिवनेस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड अमोंनग द बेनेफीशरी फामर्स इन नालगोण्डा डिस्ट्रीक, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ मॉर्डेनाइजेशन इन इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड साईन्स, वाल्यूम 4 इश्यू 8 पेज 2038–2044
3. वर्मा ए, चौहान एस एण्ड निशाद टी (2019), यूटीलाईजेशन पैटर्न ऑफ किसान क्रेडिट अमोंग ट्राईबल फार्मर इन सिंघ डिस्ट्रीक, म.प्र. प्लान्ट अचीवर्स्, वाल्यूम 17 इश्यू 2 पेज 1621–1629
4. मेघना वाय, माकडिया जे एण्ड कलोला एम (2018), क्रेडिट यूटीलाईजेशन पैटर्न ऑफ किसान क्रेडिट इन साउथ गुजरात, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकलचरल इकोनोमिकस् एण्ड स्टेटैस्टिकस्, वाल्यूम 9 इश्यू 1 पेज 31–34
5. गांधीमथी एस एण्ड सुमैया एम (2015), रोल ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकलचरल क्रेडिट इन इण्डिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एण्ड सोशल सांईस, वाल्यूम 3 ईश्यू 2 पेज 464–472
6. कुमारा अंजनी, सिंह के एण्ड सिन्हा एसे.(2010),इन्सटीटयूशनल क्रेडीट टू एग्रीकलचरल सेक्टर इन इण्डिया, स्टेटस्, पर्फोमेन्स एण्ड डिटरमेंट, एग्रीकलचरल इकोनोमिक्स रिसर्च रिव्यू, वाल्यूम 23 इश्यू 1 पेज 253–264.

❑❑❑